



न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी- श्री श्रेय शुक्ला, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code- UP3845

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2263/2026

CNR NO- UPSP010058812026

1. नौशाद पुत्र इब्राहीम,

2. साजेब उर्फ शाहजेब पुत्र नौशाद

निवासीगण मौहल्ला कायस्तान, कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मु.अ.सं.- 230/2026

धारा-64(2)(m), 352, 351(3) भा० न्याय० सं०

थाना-कोतवाली मण्डी, जिला-सहारनपुर।

11.06.2026

पुकार करायी गयी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी अंकित की गयी है कि, "श्रीमान जी, उक्त अग्रिम प्रतिभू प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं।"

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता बल नहीं देना चाहते हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- **2263/2026** बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण नौशाद व साजेब उर्फ शाहजेब द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० **2263/2026** बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-11.06.2026

(श्रेय शुक्ला)

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम
सहारनपुर।

(J.O.Code.-UP3845)